संचालनालय लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा

मध्यप्रदेश

प्रश्न सं. [क्र. 2156]

कमांक.4 / शिका. / सेल.2 / इन्दौर–धार / 2025 / 1284   भोपाल, दिनांक 6/7/2025

/ / आदेश / /

दैनिक समाचार पत्र पत्रिका में दिनांक 06.07.2025 को प्रकाशित समाचार " जिस पदमश्री डॉक्टर ने हादसे में धायलों की जान बचाने की मुहिम शुरू की वे माण्डू में एंटी रैबीज इंजेक्शन को तरसते रहे " संबंधी खबर प्रकाशित होने पर , क्षेत्रीय संचालक, स्वास्थ्य सेवायें, इन्दौर संभाग,इन्दौर द्वारा प्रकरण की जांच तीन सदस्यीय जांच दल से पूर्ण कराई जिसमें तीन सदस्यीय जांच दल ने प्रकरण की जांच पूर्ण कर जांच प्रतिवेदन प्रस्तुत कर लेख किया कि :–

" संस्था प्रभारी डॉ.चांदनी डबरोलिया से जानकारी लेने पर उनके द्वारा अवगत कराया गया है कि श्रीमती सुस्मिता दास पति पदमश्री डॉ.सुब्रत दास दिनांक 5.7.2025 को प्रातः 11:30 बजे प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र में ए.आर.वी.इंजेक्शन लगवाने के लिये आये थे तब मैने उनसे कहा कि आप सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र नालछा में जाकर लगवा लो, क्योंकि ए.आर.वी.इंजेक्शन मेरे स्टॉक में उपलब्ध है या नहीं , इसकी जानकारी मुझे नहीं है।

" उपरोक्त के अतिरिक्त जांच दल ने प्रस्तुत जांच प्रतिवेदन में यह भी लेख किया है कि स्थानीय मीडियाकर्मी एवं अन्य स्थानीय नागरिक प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र में आ गये थे जिनके द्वारा संस्था प्रभारी डॉ. चांदनी डबरोलिया,चिकित्सा अधिकारी का मरीजों के प्रति असंवेदनशील व्यवहार बरते जाने की मौखिक शिकायत की जाकर अनुरोध किया गया कि इनको संस्था से जनभावनाओं का ध्यान रखते हुये हटाया जाना आवश्यक है। "

2. तीन सदस्यीय जांच दल ने प्रकरण की उपरोक्तानुसार जांच पूर्ण कर जांच अभिमत में यह लेख किया है कि संस्था प्रभारी डॉ.चांदनी डबरोलिया द्वारा अपने पदीय दायित्वों के निर्वहन में घोर लापरवाही बरती जाना परिलक्षित होने के साथ ही डॉ.डबरोलिया द्वारा न तो स्टॉक रजिस्टर पंजी संधारित कराई गई न ही इण्डेंट पंजी,ड्यूटी रोस्टर, दवाई वितरण, औषधि भण्डार, कोल्डचैन वैक्सीन का संधारण, वितरण एवं दवाईयों के मांग पत्र, ईडीएल / नॉन ईडीएल दवाईयों की उपलब्धता सुनिश्चित नहीं कराई गई है।

यह कि तीन सदस्यीय जांच दल ने प्रकरण की जांच पूर्ण कर जांच प्रतिवेदन क्षेत्रीय संचालक, स्वास्थ्य सेवायें, इन्दौर संभाग,इन्दौर को प्रेषित किया तत्पश्चात् क्षेत्रीय संचालक,स्वास्थ्य सेवायें,इन्दौर ने उनके ज्ञाप कमांक. / जांच / 2025 / 5348–5349 / दिनांक 6.7.2025 द्वारा जांच प्रतिवेदन, आयुक्त, लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा को प्रेषित कर लेख किया कि जांच दल द्वारा प्रस्तुत जांच प्रतिवेदन का मेरे द्वारा परीक्षण किया गया ,परीक्षणोंपरान्त जांच दल द्वारा जांच प्रतिवेदन में दिये गये अभिमत से में सहमत हूँ।

3. यह कि दैनिक समाचार पत्र पत्रिका में दिनांक 06.07.2025 को प्रकाशित समाचार " जिस पदमश्री डॉक्टर ने हादसे में धायलों की जान बचाने की मुहिम शुरू की वे माण्डू में एंटी रैबीज इंजेक्शन को तरसते रहे " संबंधी शिकायत का जांच प्रतिवेदन संचालनालय को क्षेत्रीय संचालक,स्वास्थ्य सेवायें इन्दौर संभाग, इन्दौर से उपरोक्तानुसार प्राप्त होने पर प्राप्त जांच प्रतिवेदन का सूक्ष्म अवलोकन / परीक्षण किये जाने पर प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र,माण्डू जिला धार में संस्था प्रभारी के पद पर पदस्थ डॉ.चांदनी डबरोलिया द्वारा अपने पदीय दायित्वों के प्रति उपरोक्त घोर लापरवाही बरती जाकर वे अपने पदीय दायित्वों का निर्वहन करने में अक्षम सावित हुई।

इस प्रकार डॉ.चांदनी डबरोलिया,चिकित्सा अधिकारी,प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र,माण्डू जिला धार ने उपरोक्त कृत्य कर स्वयं को मध्यप्रदेश सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम,1966 के नियम–3 के उपनियम,(i)(ii)(iii) का उल्लंघन कर अनुशासनात्मक कार्यवाही का भागी बना लिया है।

अतः डॉ.चांदनी डबरोलिया,चिकित्सा अधिकारी, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र,माण्डू जिला धार को मध्यप्रदेश सिविल सेवा (वर्गीकरण,नियंत्रण तथा अपील) नियम,1966 के नियम, 9 (1) के अंतर्गत तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जाता है। निलंबन काल में डॉ.डबरोलिया का मुख्यालय कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला शाजापुर के अधीन किया जाता है। डॉ.चांदनी डबरोलिया को नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ते की पात्रता रहेगी।

(तरूण राठी)

आयुक्त, लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा

मध्यप्रदेश

निरन्तर......2

पृ.कमांक.4/शिका./सेल.2/इन्दौर–धार/2025/1285 भोपाल, दिनांक 6/7/2025

प्रतिलिपिः–सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :–

1. प्रमुख सचिव,मध्यप्रदेश, शासन,लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा,मंत्रालय,वल्लभ भवन,भोपाल की ओर प्रेषित।
2. कलेक्टर,जिला धार,मध्यप्रदेश की ओर प्रेषित।
3. मिशन संचालक,एन.एच.एम.कार्यालय,पत्रकार कालोनी,भोपाल,मध्यप्रदेश की ओर प्रेषित।
4. वरिष्ठ संयुक्त संचालक,विज्ञप्त/गोपनीय,शाखा स्थानीय कार्यालय की ओर प्रेषित।
5. उप संचालक,लीगल शाखा,स्थानीय कार्यालय की ओर प्रेषित।
6. क्षेत्रीय संचालक,स्वास्थ्य सेवायें, इन्दौर मध्यप्रदेश की ओर उनके ज्ञाप कमांक./जांच/2025/5348–5349/दिनांक 6.7.2025 द्वारा अभिमत सहित प्रेषित जांच प्रतिवेदन के संदर्भ में आदेश की प्रति प्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि डॉ.चांदनी डबरोलिया,चिकित्सा अधिकारी, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र,माण्डू जिला धार के विरूद्ध जारी होने वाले आरोप पत्र का प्रारूप तीन दिवस की समयावधि में अनिवार्य रूप से अधोहस्ताक्षरकर्ता को प्रेषित करना सुनिश्चित करें अन्यथा प्रकरण में विलंब हेतु आप स्वयं उत्तरदायी होंगे।
7. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला शाजापुर,मध्यप्रदेश की ओर प्रेषित।
8. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला धार,मध्यप्रदेश की ओर प्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि जारी आदेश की प्रविष्टि संबंधित डॉ.चांदनी ड़बरोलिया,चिकित्सा अधिकारी की सेवापुस्तिका में दर्ज कर,दर्ज प्रविष्टि की प्रमाणित प्रति से अधोहस्ताक्षरकर्ता को अनिवार्य रूप से अवगत कराना सुनिश्चित करें अन्यथा प्रकरण में विलंब हेतु आप स्वयं उत्तरदायी होंगे।
9. संभागीय कोष एवं लेखा इन्दौर /उज्जैन,संभाग,मध्यप्रदेश की ओर प्रेषित।
10. जिला कोषालय अधिकारी धार/शाजापुर,मध्यप्रदेश की ओर प्रेषित।
11. डॉ.चांदनी ड़बरोलिया,चिकित्सा अधिकारी, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र,माण्डू जिला धार,मध्यप्रदेश की ओर प्रेषित द्वारा :–क्षेत्रीय संचालक,स्वास्थ्य सेवायें,इन्दौर संभाग,इन्दौर,मध्यप्रदेश।
12. प्रभारी एम.आई.एस.सेल.स्थानीय कार्यालय की ओर प्रेषित।
13. आदेश नस्ति।

आयुक्त,
लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा
मध्यप्रदेश